

# परिषद की कानपुर जोन के अन्तर्गत नवनिर्मित/नवविकसित/निरस्तीकरण से रिक्त आवासीय/अवासीय सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी

आवंटन/  
नीलामी  
दि. 29.04.2016

समय  
प्रातः 10.30  
बजे



स्थल : कार्यालय उप आवास आयुक्त (कानपुर जोन) आफिस कामप्लेक्स (भू-तल) केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर

## व्यावसायिक सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित दर/ अनु. मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु. लाख में)	एफ. आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)
<b>केशवपुरम योजना संख्या-1, कानपुर</b>					
प्रीमियम भूखण्ड (01 नग)					
IPR-7	561.00	32,760.00	1.50	55%	12.50
<b>हंसपुरम योजना संख्या-2, कानपुर</b>					
सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड (02 नग) (लीज पर)					
Sector 5G @	834.75	14,520.00	1.50	35%	10.00
Sector 5H @	1627.50	14,520.00	1.50	35%	10.00
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (01 नग)					
7GH-02	8745.07	22,302.00	1.50	40%	-
<b>लोहियापुरम योजना, फतेहगढ़ (फर्स्टवाबाद)</b>					
व्यवसायिक भूखण्ड (01 नग)					
4/C-34 (Gen)	310.80	22,400.00	1.20	40%	9.60
4/C-44 (Gen)	310.80	22,400.00	1.20	40%	9.60
<b>योजना संख्या-1 धिवरामऊ (कन्नौज)</b>					
संस्थागत भूखण्ड (01 नग)					
INS-4/101	1287.33	8,686.00	1.50	35%	15.00

## आवासीय फ्लैट्स (आवंटन द्वारा)

सम्पत्ति संख्या	फ्लैट्स का प्रकार	सुपर एरिया (वर्ग फिट)	स्व वित्त पोषित फ्लैटों की संख्या विक्रय मू. (रु. लाख में)	प्रस्तावित अनुमानित धनराशि (रु. लाख में)	अनुमानित पंजीकरण किफायतें (रु. लाख में)	शेष भुगतान 10 तैमासिक
<b>अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3, सेक्टर-ई (पार्ट) कानपुर में ब्रम्हावर्त अपार्टमेंट (जी-3) एफ-82 प्रकार के स्व वित्त पोषित फ्लैट्स (31 नग)</b>						
मध्यम आय वर्ग	Type F-82 (2 BHK) भू-तल (01 नग)	885.00	T-6/101 (SC)	42.50	4.25	382500.00
	Type F-82 (2 BHK) द्वितीय तल (11 नग)		T-2/301 (Gen.), T-2/304 (Gen.), T-3/301 (Gen.), T-3/302 (SC), T-3/304 (Gen.), T-5/302 (Gen.), T-6/301 (Gen.), T-6/304 (SC), T-7/301 (OBC), T-7/304 (SC), T-8/303 (Gen.)	33.65	4.25	294000.00
	Type F-82 (2 BHK) तृतीय तल (19 नग)	885.00	T-1/401 (Gen.), T-1/402 (OBC), T-1/404 (SC), T-2/401 (Gen.), T-2/402 (Gen.), T-2/403 (OBC), T-2/404 (Gen.), T-3/402 (SC), T-3/404 (Gen.), T-4/401 (Gen.), T-4/404 (OBC), T-5/402 (Gen.), T-6/401 (OBC), T-6/402 (Gen.), T-6/403 (SC), T-7/401 (ST), T-7/402 (Gen.), T-7/403 (OBC), T-8/403 (OBC.)	33.25	4.25	290000.00

**नोट :-** अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3, सेक्टर-ई (पार्ट) कानपुर में ब्रम्हावर्त अपार्टमेंट (जी-3) एफ-82 प्रकार के स्वयं वित्त पोषित फ्लैट्स के पंजीकरण व आवंटन हेतु सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय योजना संख्या-1/3 कल्यानपुर कानपुर में रु. 500.00 का भुगतान कर पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त कर एवं पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सहित आवेदन-पत्र आवंटन तिथि से 02 दिन पूर्व उक्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में जमा करना होगा। आरक्षित वर्ग के फ्लैट्स हेतु जाति प्रमाण-पत्र राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करार आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

## हंसपुरम योजना संख्या-2 कानपुर (आवासीय सम्पत्तियों का विवरण आवंटन द्वारा) दुर्बल आय वर्ग 18/40 प्रकार के भवन (62 नग)

सम्पत्ति प्रकार व संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु. लाख में)	पात्रता
7/249, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 313/1, 313/2, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 325/1, 325/2, 325/3, 325/4, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361	44.16 to 124.85	6.86 to 19.27	वर्ष-2012 के पात्र पंजीकृत चयनित आवेदक
<b>अल्प आय वर्ग 29/60 प्रकार के भवन (08 नग)</b>			
1B-638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 644/1	60.95 to 118.96	12.18 to 20.00	-तदैव-

**नोट :-** हंसपुरम योजना संख्या-2 कानपुर में वर्ष-2012 के पात्रता चयनित पंजीकृत आवेदकों हेतु निर्धारित भवनों में से अल्प आय वर्ग में 19 व दुर्बल आय वर्ग में 35 नग कम भवनों का निर्माण हुआ है। आवंटन समिति दिनांक 30.03.2016 के निर्णय के अनुसार पात्र पंजीकृत आवेदकों के मध्य नियमानुसार लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा एवं असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी।

## आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा) हंसपुरम योजना संख्या-2, कानपुर आवासीय भूखण्ड 171.00 वर्ग मीटर से अधिक (01 नग)

सम्पत्ति प्रकार व संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	मूल्य	पात्रता
1A-1223	336.00	13440/sq.cm	अपंजीकृत आवेदक
<b>चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, उन्नाव</b>			
मध्यम आय वर्ग (डबल स्टोरी) भवन (02 नग)			
C-22 @ (भू-तल)	84.20	9.17	अपंजीकृत आवेदक
C-23 @ (भू-तल)	30.55	5.68	अपंजीकृत आवेदक

## शैक्षिक भूखण्डों का विवरण

सेक्टर/भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	वर्तमान भूमि दर+लीजरेंट +कार्गर्न शुल्क (कार्गर्न की स्थिति में) प्र.व.मी.	भूखण्ड का मूल्य दि. 01.04.14 से प्रभावी दर के अनुसार (रु. में)	बैंक ड्राफ्ट द्वारा बयाना धनराशि (रु. में)
<b>केशवपुरम योजना संख्या-1, कानपुर</b>				
शैक्षिक भूखण्ड (03 नग) (लीज पर)				
जी/एस.सी.ए.-02	3151.86	23595.00	74368137.00	7436820.00
पी.एस. सेक्टर-आई	1507.50	23595.00	35569463.00	3556950.00
पी.एस. सेक्टर-एम	1870.50	23595.00	44134448.00	4413450.00
<b>अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3, कानपुर</b>				
शैक्षिक भूखण्ड (08 नग) (लीज पर)				
भूखण्ड सं.-ए	960.00	15730.00	15100800.00	1510080.00
भूखण्ड सं.-सी	2448.00	15730.00	38507040.00	3850704.00
1/पी.एस.	3040.92	15730.00	47833680.00	4783368.00
सेक्टर-7/एन.एस.-6	1097.60	15730.00	17268394.00	1726840.00
सेक्टर-8/पी.एस.-1	894.00	15730.00	14062620.00	1406262.00
सेक्टर-8/एन.एस.-1	1104.50	15730.00	17373785.00	1737379.00
सेक्टर-8/एन.एस.-2	928.76	15730.00	14609395.00	1460940.00
9/पी.एस.-3	1507.75	15730.00	23716910.00	2371691.00
<b>हंसपुरम योजना संख्या-2, कानपुर</b>				
शैक्षिक भूखण्ड (05 नग) (लीज पर)				
सेक्टर-ए.एन.एस./पी.एस.	1390.50	14520.00	20190060.00	2019100.00
सेक्टर-बी.एन.एस./पी.एस.	1365.00	14520.00	19819800.00	1982000.00
सेक्टर-बी.एन.एस./पी.एस.	935.45	14520.00	13582734.00	1358300.00
सेक्टर-5बी.ए.एस.	6960.00	14520.00	101059200.00	10106000.00
सेक्टर-5जी.ए.एस.	1402.50	14520.00	20364300.00	2036500.00
<b>लोहियापुरम योजना, फतेहगढ़</b>				
शैक्षिक भूखण्ड (01 नग) (लीज पर)				
6बी.पी.एस.	973.76	12100.00	11782496.00	1178500.00
<b>गणेश विहार योजना, फतेहपुर</b>				
शैक्षिक भूखण्ड (01 नग) (लीज पर)				
सेक्टर-1 एन.एस.	708.00	4961.00	3512388.00	351240.00

**नोट :-** (1) शैक्षिक भूखण्डों हेतु नीलामी की तिथि को संस्था का पंजीकरण न्यूनतम तीन वर्ष पुराना होना एवं संस्था की विगत तीन वर्षों की बैलेन्सशीट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित होना अनिवार्य है। (2) उ.प्र. सरकार के निर्णयानुसार शैक्षिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही कुल देय फीस में 50 प्रतिशत छूट भी दिया जाना अनिवार्य होगा। (3) उ.प्र. सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लागू विधिक प्राविधान, अधिनियम एवं निर्देश आवंटनों पर प्रभावी होंगे। (4) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों/प्रचार अनुभाग मुख्यालय से विनियमावली सम्बन्धित पुस्तिका रूपये 1000/- का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है जिसके अनुसार नीलामी में भाग लिया जाना है। (5) शैक्षिक भूखण्डों की श्रेणी का निर्धारण यू.पी. बोर्ड/सी.बी.एस.ई. बोर्ड एवं अन्य द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप की जायेगी।

**नोट:-** शैक्षिक भूखण्ड हेतु रु. 1000/- कार्यालय में नगद जमा करके पुस्तिका दिनांक 16.04.2016 से 16.05.2016 तक प्राप्त कर पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र के साथ रु. 5000/- का बैंक ड्राफ्ट सहित आवश्यक प्रपत्रों को 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित कार्यालय में जमा कर सकते हैं, प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं शॉर्ट लिस्टिंग के उपरान्त वैध/पात्र आवेदक संस्थाओं को आगामी निर्धारित तिथि पर नीलामी में भाग लेना होगा, प्राप्त उच्चतम बोली पर परिषद मुख्यालय द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

**विशेष सूचना:-** परिषद के आवंटियों/ग्राहकों की शिकायतों/समस्याओं के निस्तारण हेतु उ.प्र. आवास विकास परिषद द्वारा प्रत्येक माह के तृतीय बृहस्पतिवार को "परिषद दिवस" का आयोजन जोनल कार्यालय एवं परिषद के लखनऊ स्थित मुख्यालय कार्यालय पर प्रातः 10 बजे से 12.30 बजे तक किया जाता है। अवकाश की दिवस में परिषद दिवस का आयोजन अगले कार्यदिवस में होगा।


**नियम व शर्तें :-** (1) प्रीमियम भूखण्डों का उपयोग भूतल पर व्यावसायिक प्रयोग होगा एवं बेसमेंट का प्रयोग भण्डारण एवं पार्किंग हेतु किया जायेगा। उक्त भूखण्डों का सब-डिवीजन/विक्रय अनुमत्य नहीं होगा। शेष नियम व शर्तों की जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रीमियम हाउसिंग के भूखण्डों का मूल स्वरूप आवासीय ही रहेगा। अतः भवन निर्माण एवं विकास उक्त विधि 2000 के अध्याय-3, भाग-5 के प्रस्तर 1, 5, 1 के अनुसार प्रशंगत भूखण्डों हेतु अनुमत्य भू-आच्छादन एफ.ए. आर. व अनुमत्य ईकाई भवन का निर्माण विकास उपविधि 2000 के अनुसार रहेगा। (2) समस्त सम्पत्तियों की नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा। (3) सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100/- जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (4) सम्पत्ति सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। (5) आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर (आवेदन पत्र नीलामी के दो दिन पूर्व तक तथा सील्ड बिड नीलामी से एक दिन पूर्व) कार्यालय कार्यदिवस में सायं 05.00 बजे तक जमा करना होगा। नीलामी तिथि को प्रातः 10.30 बजे तक टोकन निर्गत किये जायेंगे। तदोपरान्त प्रातः 10.30 से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। (6) आरक्षित भूखण्डों के विरुद्ध फर्म/पंजीकृत सोसाइटी पर कोई आरक्षण अनुमत्य नहीं है तथा पावर आफ एटॉर्नी एवं अधिकृत पत्र के आधार पर बोली लगाना अनुमत्य न होगा। (7) प्रदेशन के सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। (8) सम्पत्ति आवंटन/नीलामी सम्बन्धी नियम व शर्तों एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती है।

आवास आयुक्त

परिषद से सम्बन्धित समस्या के निराकरण हेतु  
**जन सुविधा केन्द्र**  
की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।

**डायल करें 1800-180-5333**  
(टोल-फ्री) **0522-2236803**  
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है।

IS 15700:2005



**उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद**

सेवोत्तम प्रमाणित संस्था

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ,

Website: <http://www.upavp.com>; E-mail: [info@upavp.com](mailto:info@upavp.com)

